

**Banks and insurance companies accused of money Laundering**

# बैंकों व बीमा कंपनियों मनी लाँड्रिंग का ► आनलाइन न्यूज पोर्टल कोबरा पोस्ट ने

नई दिल्ली (एजेंसिया)। आनलाइन समाचार पोर्टल कोबरा पोस्ट ने सोमवार को अपनी एक रपट में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 23 बैंकों तथा बीमा कंपनियों पर मनी लाँड्रिंग में शामिल होने का आरोप लगाया। इस खुलासे के बाद वित्त मंत्रालय ने संबद्ध बैंकों तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रमुखों को मामले की जांच करने की कहा वहीं बीमा नियामक इरडा ने स्वतंत्र रूप से मामले की जांच शुरू करने की बात कही है।

इस दूसरे सबसे बड़े खुलासे में कोबरा पोस्ट ने देश के प्रमुख बैंकों तथा बीमा कंपनियों पर देश भर में कानून का खुलेआम उल्लंघन करने और लोगों के बेनामी धन को वैध रूप देने में मदद करने का आरोप लगाया।

कोबरापोस्ट ने आरोप लगाया है कि वित्तीय क्षेत्र की इकाइयों अपने ग्राहकों की विधिवत सूचना प्राप्त करने की (केवाईसी) व्यवस्था का पालन किए बिना ही ग्राहकों को बैंक खाते खोलने तथा लोन उपलब्ध कराने की पेशकश की। इसके जरिए उनके काले धन को सफेद बनाया गया और इसके लिए फर्जी पैन कार्ड दिए गए। पोर्टल ने एक विज्ञापन में कहा है, 'कई महीनों तक किए गए स्टिंग ऑपरेशन में यह पाया गया है कि देश में

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के दर्जनों बैंक तथा बीमा कंपनियों मनी लाँड्रिंग गतिविधियों में शामिल हैं। इस ऑपरेशन में कुल मिलाकर 23 बैंक और बीमा कंपनियों के बारे में ये बातें सामने आई हैं।'

वित्तीय संस्थानों द्वारा मनी लाँड्रिंग किए जाने के कोबरापोस्ट के आरोप के कुछ ही घंटे बाद वित्तीय सेवा सचिव राजीव टकरू ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा एलआईसी से उन कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कदम उठाने को कहा है जो केवाईसी तथा तथा नियामकीय मानदंडों के उल्लंघन को लेकर ग्राहकों को गलत सलाह देते हैं।

टकरू ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तथा भारतीय जीवन बीमा के प्रमुखों से कहा है, 'मामले में जांच शुरू की जानी चाहिए और शीघ्रता से पूरी की जानी चाहिए।' इरडा ने कहा कि वह एलआईसी, रिलायंस लाइफ, टाटा एआईए तथा बिडला सनलाइफ के खिलाफ लगाए गये मनी लाँड्रिंग के आरोपों की जांच करेगा और जो भी मामले में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोबरापोस्ट का यह दूसरा सबसे बड़ा खुलासा है। इससे पहले, 14 मार्च को पोर्टल ने निजी क्षेत्र के शीर्ष बैंकों-एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक तथा एक्सिस बैंक- के खिलाफ मनी लाँड्रिंग के आरोप लगाए थे।

- सरकारी व निजी क्षेत्र के 23 बैंकों और बीमा कंपनियों पर लगा काले धन को वैध करने में मदद करने का आरोप
- वित्त मंत्रालय ने मामले की शुरू की उच्चस्तरीय पड़ताल



A Joint Venture of

